बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि.प्रा. (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के वर्गकक्ष, पुस्तकालय एवं छात्रावास के लिए आवश्यकता आधारित उपकरण एवं उपस्कर के क्रय हेतु कुल रू. 30,00,000=00 (तीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के पत्रांक–239, दिनांक 03.12.2016 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान के वर्गकक्ष, पुस्तकालय एवं छात्रावास के लिए आवश्यकता आधारित उपकरण एवं उपस्कर के क्रय हेतु कुल रू. 30,00,000=00 (तीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना आय–व्ययक के ''मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)'' के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– पी 4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, छपरा से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से प्रक्रिया पालन के साथ नियमानुसार क्रय की जाने वाले उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय किये गए उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक सामग्री का क्रय नहीं की जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– 78 /पटना, दिनांक– 12-1-2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.01.17
सरकार के उप सचिव

12/01/17